अध्याय– पंचम

शोध सारांश निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1 प्रस्तावना

5.2 समस्या कथन

5.3 अध्ययन के उद्देश्य

5.4 शोध की परिकल्पनाएँ

5.5 शोध कार्य की सीमा एवं सीमाकंन

5.6 जनसंख्या का निर्धारण

5.7 प्रतिदर्श का चयन

5.8 प्रयुक्त उपकरण

5.9 शोध में प्रयुक्त चर

5.10 सांख्यिकी प्रविधि

5.11 शोध के निष्कर्ष

5.12 सुझाव

अध्याय पंचम

शोध सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1. प्रस्तावना

शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण आधार है। भारतीय समाज की विभिन्न विशेषताएँ उसकी प्रथा परम्पराएँ सदियों से चलती आ रहीं, कुरीतियों के कारण समाज में लिंग के आधार पर शिक्षा, इस विचार प्रणाली का काफी समय तक प्रभाव रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्त्री शिक्षा हेतु विभिन्न प्रयास योजनाओं के कार्यान्वयन से किये जा रहें है। जिससे वर्तमान मे स्त्री शिक्षा एवं लड़कियों की शिक्षा के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन हुआ है? इस संदर्भ में आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अभिभावकों का लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में अंतर को देखने के लिए प्रस्तुत अध्ययन किया है। इस अध्ययन का शोध सारांश, निष्कर्ष यहॉ प्रस्तुत किया जा रहा है।

5.2 समस्या कथन

आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अभिभावकों का (माता–पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण– एक तुलनात्मक अध्ययन।

5.3 अध्ययन के उददेश्य

1 आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अभिभावकों का (माता–पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

2. आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के साक्षर अभिभावकों का लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

3. आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निरक्षर अभिभावको का लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

5.4 शोध की परीकल्पनाएँ:–

1. आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अभिभावकों का (माता पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माता अभिभावकों का लड़कियो कीं शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के पिता अभिभावकों का लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. आदिवासी क्षेत्र के अभिभावकों का (माता–पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
5. ग्रामीण, क्षेत्र के अभिभावकों का (माता–पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
6. शहरी क्षेत्र के अभिभावकों का (माता–पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
7. आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के साक्षर अभिभावकों का (माता–पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
8. आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निरक्षर अभिभावकों का (माता–पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
9. आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के साक्षर माता अभिभावकों का लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

10. आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निरक्षर माता अभिभावकों का लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

11. आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के साक्षर पिता अभिभावकों का लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

12. आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निरक्षर पिता अभिभावकों का लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

13. आदिवासी, क्षेत्र के साक्षर अभिभावकों का (माता–पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

14. आदिवासी क्षेत्र के निरक्षर अभिभावकों का (माता–पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

15. ग्रामीण क्षेत्र के साक्षर अभिभावकों का (माता–पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

16. ग्रामीण क्षेत्र के निरक्षर अभिभावकों का (माता–पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

17. शहरी क्षेत्र के साक्षर अभिभावकों का (माता–पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

18. शहरी क्षेत्र के निरक्षर अभिभावकों का (माता–पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

5.5 शोध कार्य की सीमा एवं सीमांकन

शोध की सीमाएँ

1. प्रस्तुत शोध कार्य में आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में निवासरत एवं उच्च प्राथमिक कक्षा 5,6,7 में अध्ययनरत लड़कियों के माता एवं पिता का लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का ही अध्ययन किया गया है।

2. अभिभावकों के अंतर्गत लड़कियों को जन्म देने वाले माता एवं पिता को लिया गया है, जो उसका पालन पोषण कर रहे है।

3. प्रस्तुत शोध कार्य मे चयनित अभिभावकों की साक्षरता एवं निरक्षरता को ध्यान में लेकर न्यादर्श का चयन किया गया है।

4. प्रस्तुत अध्ययन अकोला जिले की तेल्हारा तहसील में स्थित आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अभिभावकों तक ही सीमित है।

5. आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अभिभावकों का लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को देखने के लिए एक ही उपकरण का प्रयोग किया गया है।

6. प्रस्तुत अध्ययन मे न्यादर्श का चयन स्तरीकृत असमानुपातिक प्रविधि की सहायता से कियां गया है। जिसमे आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र मे से समान संख्या मे माता एवं पिता का चयन किया गया है। जिससे की N समान हो।

शोध का सीमांकन

1. प्रस्तुत शोध कार्य मे चयनित अभिभावकों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति को ध्यान में नहीं लिया गया।

2. अभिभावको में लड़कियों को जन्म देने वाले अभिभावकों के अतिरिक्त अन्य अभिभावकों को ध्यान में नहीं लिया गया।

3. प्रस्तुत शोध कार्य में अभिभावकों की आयु को ध्यान में नहीं लिया गया।

4. प्रस्तुत शोध में अभिभावकों के शिक्षा स्तर को ध्यान में नहीं लिया गया।

5. प्रस्तुत शोध ने चयनित अभिभावकों के परिवार का आकार तथा उन्हें कितने लड़के या लड़कियॉ है। इसे ध्यान में नहीं लिया गया।

5.6 जनसंख्या का निर्धारण

प्रस्तुत शोध की जनसंख्या में तेल्हारा तहसील मे स्थित आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत लड़कियों के माता एवं पिता को लिया गया है।

5.7 प्रतिदर्श का चयन

तेल्हारा तहसील के आदिवासी, ग्रामीण, एवं शहरी क्षेत्र मे कार्यरत उच्च प्राथमिक विद्यालय में से स्तरीकृत असमानुपातिक यादृच्छिक प्रतिचयन प्रविधि द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में से दो विद्यालयों का चयन किया गया, इस प्रकार तिनों क्षेत्रों मे से कुल छ विद्यालय का चयन अध्ययन हेतु किया गया है।

इन चयनित आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत लड़कियों के अभिभावकों का चयन स्तरीकृत असमानुपातिक यादृच्छिक प्रविधि द्वारा किया गया है।

इसमे प्रत्येंक क्षेत्र के दो उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत कुल लड़कियों मे से 40 लड़कियों को चंयनित किया गया, इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र मे से 40 माता एवं 40 पिता अभिभावकों का चयन किया गया है, इन 40 माता अभिभावकों में 20 साक्षर माता एवं 20 निरक्षर माता तथा 40 पिता अभिभावकों में 20 साक्षर पिता एवं 20 निरक्षर पिता का चयन किया गया है।

इस प्रकार कुल तीनों क्षेत्रों में से 120 माता एवं 120 पिता अभिभावकों का चयन किया गया, 120 माता अभिभावकों में 60 साक्षर तथा 60 निरक्षर माता अभिभावकों में 60 साक्षर तथा 60 निरक्षर पिता अभिभावक का चयन अध्ययन हेतु किया है।

5.8 प्रयुक्त उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन हेतु ऑकडो का संकलन करने के लिये अभिवृत्ति मापनी का निर्माण किया गया है। जिसमें कुल 58 विधान थे, इसमे से 5 विधानों को रदद् करके 53 विधानों को अध्ययन में लिया गया है। इस अभिवृत्ति मापनी का निर्माण तीनो बिन्दु पैमाने के आधार पर किया गया है।

5.9 शोध मे प्रयुक्त चर

स्वतंत्र चर

क्षेत्रः— आदिवासी, क्षेत्र ग्रमीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र,

लिंगः— माता अभिभावक, पिता अभिभावक,

शिक्षाः— साक्षर अभिभावक, निरक्षर अभिभावक,

आश्रित चरः—

अभिभावकों का लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण।

5.10 सांख्यिकीय प्रविधि

इस अध्ययन हेतु मध्यमान (M), प्रमाणिक विचलन (SD), मध्यमान की प्रमाणिक तृटि (SEd), टी परीक्षण, कांतिक अनुपात (CR), प्रसरण विश्लेषण (ANOVA), एवं प्रतिशत प्रणाली आदी सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया गया हैं।

5.11 शोध के निष्कर्ष

➢ उद्देश्यों के आधार पर निष्कर्ष –

- लड़कियों की शिक्षा के प्रति शहरी क्षेत्र के अभिभावकों का दृष्टिकोण उच्च, ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों का दृष्टिकोण औसत से अधिक, तथा आदिवासी क्षेत्र के अभिभावकों का दृष्टिकोण औसत है।
- लड़कियों की शिक्षा के प्रति शहरी क्षेत्र के साक्षर अभिभावकों का दृष्टिकोण उच्चं, ग्रामीण क्षेत्र के साक्षर अभिभावकों का दृष्टिकोण औसत से अधिक, तथा आदिवासी क्षेत्र के साक्षर अभिभावकों का दृष्टिकोण औसत है।
- लड़कियों की शिक्षा के प्रति शहरी क्षेत्र के निरक्षर अभिभावकों का दृष्टिकोण उच्चं, ग्रामीण क्षेत्र के निरक्षर अभिभावकों का दृष्टिकोण औसत से अधिक, तथा आदिवासी क्षेत्र के निरक्षर अभिभावकों का दृष्टिकोण औसत है।

➢ परिकल्पनाओं के आधार पर निष्कर्ष –

- आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अभिभावकों का (माता पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अंतर है।
- आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माता अभिभावकों का लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अतंर है।
- आदीवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के पिता अभिभावकों का लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अंतर है।
- आदिवासी क्षेत्र के अभिभावकों का (माता पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अंतर हैं
- ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों का (माता पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण मे सार्थक अंतर नहीं है।

- शहरी क्षेत्र के अभिभावकों का (माता पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अंतर नहीं है।
- आदिवासी, ग्रामीण एंव शहरी क्षेत्र के साक्षर अभिभावकों का (माता पिता) लड़किंयों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अंतर है।
- आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निरक्षर अभिभावकों का (माता पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अंतर है।
- आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के साक्षर माता अभिभावकों का लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अंतर है।
- आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निरक्षर माता अभिभावकों का लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अंतर है।
- आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के साक्षर पिता अभिभावकों का लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अंतर है।
- आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निरक्षर पिता अभिभावकों का लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण मे सार्थक अंतर है।
- आदिवासी क्षेत्र के साक्षर अभिभावकों का (माता पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- आदिवासी क्षेत्र के निरक्षर अभिभावकों का (माता पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अंतर है।
- ग्रामीण क्षेत्र के साक्षर अभिभावकों का (माता पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अंतर नहीं है।
- ग्रामीण क्षेत्र के निरक्षर अभिभावकों का (माता पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अंतर नही है।

- शहरी क्षेत्र के साक्षर अभिभावकों का (माता पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अंतर नहीं है।
- शहरी क्षेत्र के निरक्षर अभिभावकों का (माता पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अंतर नही है।

5.12 सुझाव

आदिवासी, ग्रामीण एंव शहरी क्षेत्र के अभिभावक, अध्यापक, सामाजिक संस्था, एवं शासकीय यंत्रना के लिएं निम्नानुसार सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे है।

➢ अभिभावकों के लिये सुझाव

1. अभिभावकों मे लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरुकता मे वृध्दि की आवश्यक्ता है।
2. अभिभावकों को चाहिये कि वह लडकों के समान ही लड़कियों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध करे।
3. अभिभावको की परंपरागत विचारसरणी मे बदलाव लाने के लिये स्त्री शिक्षा का प्रसार प्रचार विशेषता ग्रामीण, आदिवासी क्षेत्र मे किया जाये।
4. अभिभावकों द्वारा लड़का एवं लड़की ऐंसा पक्षपात उनकी शिक्षा के प्रति नही किया जाएं।
5. माता अभिभावकों को चाहिये की वह अपनी लड़की की शिक्षा के प्रति सजग हो, तथा गृहकार्य, मजदुरी आदि कार्यो द्वारा लड़कियों की शिक्षा मे बाधा उत्पन्न न करे।
6. अभिभावकों मे लड़कियों कि शिक्षा हेतु जागरुकता निर्माण करने के लिये आवश्यक है, की उनकी साक्षरता विषयक स्थिति मे सुधार किया जायं।
7. अभिभवकों को चाहिएं की वह शिक्षा के संन्दर्भ मे लडका एवं लडकी ऐसा पक्षपात न करे।

➢ समाज संस्थाओं के लिये सुझाव

1. गॉव की ग्राम शिक्षा समिति, माता–पालक संघ व्दारा लड़कियों की शिक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाय, जिससे की अभिभावकों की लड़कियों की शिक्षा के प्रति विचारसारणी मे सुधार हो।
2. सामाजिक कुप्रथा, जैसे. दहेज, बालविवाह आदि के संदर्भ मे जनजागृती कि जाये, जिससे की, लड़कियों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच विकसीत हो सके।
3. ग्राम शिक्षा समिति व्दारा गॉव स्तर पर एक शिक्षा कोष का निर्माण लड़कियों की शिक्षा हेतु किया जाये।
4. स्त्री शिक्षा हेतु प्रबोधनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न सामाजिक संस्थाओं व्दारा किया जाये।
5. लड़कियों की शिक्षा हेतु सामाजिक संस्थाओं को चाहिये की उनके व्दारा आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र मे लड़कियों के लिये शिक्षा विद्यालयों की स्थापना की जाये।

➢ अध्यापकों के लिये सुझाव

1. अध्यापकों को चाहीए की वह विद्यालयों मे लड़कियों के लिए आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता करे। जिससे की, लड़कियों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक विचारसरणी का विकास हो सके एवं लड़कियों को विद्यालय के प्रति आकर्षण निर्माण हो सके।
2. विद्यालय स्तर पर आर्थिक रुप से पिछडे वर्गो की लड़कियों की शिक्षा गॉव स्तर पर शिक्षा कोष का निर्माण किया जाये।
3. लड़कीयों के अभिभावकों से अध्यापको व्दारा प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाये, जिससे कि, लड़कियों की शिक्षा के प्रति अभिभावकों का प्रबोधन हो सके, यह संपर्क औपचारीक तौर पर न हो।

4. विद्यालय में नियमित उपस्थित लड़कियों को पुरस्कार दिया जाये तथा उनके अभिभावकों का भी अभिनंदन किया जायं, जिससे की अन्य अभिभावकों पर उसका अनुकुल प्रभाव पड सके एवं लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सके।

5. अध्यापकों को चाहीयें की उनके व्दारा ग्रामीण, आदिवासी क्षेत्र मे लड़कीयों की शिक्षा हेतु आवश्यक स्त्री शिक्षा हेतु आवश्यक वातावरण संस्कृति का विकास किया जाये।

6. उच्च प्राथमिक शिक्षा के पश्चात उच्च शिक्षा तथा अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों के संदर्भ मे अध्यापको व्दारा अभिभवकों को एवं लड़कियों को मार्गदर्शन कीया जाये।

➢ **शासकीय यंत्रना के लिये सुझाव**

1. आदिवासी, ग्रामीण क्षेत्र में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या एवं गुणवत्ता मे वृद्धि की जाये।

2. आर्थिक रुप से पिछडे वर्गो की लड़कियों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की राशी बढायी जाये एवं सभी जरुरत मंद लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलने की व्यवस्था की जाए।

3. आदिवासी, ग्रामीण क्षेत्र मे लड़कियों के लिए निवासी विद्यालयो की स्थापना की जाये।

4. आदिवासी, ग्रामीण क्षेत्र मे स्थानिक महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये, जिससे कि, अभिभावकों का लड़कियों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण वृध्दीगत हो सके।

5. आदिवासी, ग्रामीण क्षेत्र मे कार्यरत विद्यालयों मे स्थानिय आवश्यकताओं के अनुसार, लड़कियों को व्यावसायिक शिक्षा कि व्यवस्था की जाये, जिससे कि

लड़की अपने परीवार के व्यवसाय मे मद्द कर सके, तथा आगे चलकर स्वावलंबी हो सके।

6. स्त्री शिक्षा पर आधारित विज्ञापनो का जनसंचार माध्यमोद्वारा नियमित प्रसार प्रचार किया जाये, जिससे कि स्त्री शिक्षा हेतु अनुकुल वातावरण का निर्मान हो सके।

7. ग्रामीण, आदिवासी क्षेत्र मे औपचारिक तौर पर स्त्री शिक्षा की व्यवस्था के स्थान पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की जायें।

➢ **भावी शोध के लिए सुझाव**

प्रस्तुत शोध की सीमाओं को ध्यान में रखकर भावी शोध अध्ययन के लिए सुझाव निम्न प्रकार से है–

- आदिवासी क्षेत्र में लड़कियोंकी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारणों का अध्ययन ।
- ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारणो का अध्ययन।
- शहरी क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारणों का अध्ययन ।
- आदिवासी, ग्रमीण एवं शहरी क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारणों का तुलनात्मक अध्ययन।
- आदिवासी,ग्रामीण,एवं शहरी क्षेत्र में कार्यरत् अध्यापको का लडकियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण।
- लड़कियोंकी उच्च शिक्षा, एंवं व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिभावकों का दृष्टिकोण का दृष्टिकोण।
- लड़कियों की शिक्षा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण का अध्ययन।
- स्त्री शिक्षा हेतु कार्यान्विन विभिन्न योजना एवं अभिभावकों का लड़कियों की शिक्षा के प्रती निर्माण दृष्टिकोण का अध्ययन।